प्रेस विज्ञप्ति
12.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने 09.07.2024 को हरियाणा और पंजाब में 14 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी हरियाणा राज्य के उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के 3 अधिकारियों और सिंडिकेट सदस्यों महेश बंसल, पदम बंसल, अमित बंसल, मोनिल बंसल, ऋषि गुप्ता, हरीश बियानी और अन्य के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर की गई, जिन्होंने माल की आवाजाही के बिना कर योग्य वस्तुओं की झूठी अंतरराज्यीय बिक्री का दावा करने के लिए फर्जी फर्में बनाईं।

ईडी ने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने और उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी रिफंड प्राप्त करने के संबंध में हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ।

ईडी की जांच से पता चला कि फर्जी फर्मों को सिंडिकेट सदस्यों द्वारा शामिल किया गया था और इन फर्जी फर्मों में बिक्री "सी" फॉर्म पर कर की रियायती दर का दावा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया और अंततः उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की मदद से धोखाधड़ी वाले रिफंड प्राप्त किए गए। धोखाधड़ी से प्राप्त इन रिफंडों को नकद में निकाला गया और कई करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया गया।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरणों, अपराध-संकेती दस्तावेजों, 40 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक लॉकर, डीमैट खातों और 16.38 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी की बरामदगी और जब्ती हुई।

आगे की जांच जारी है।

****